


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>प्रकरण संख्या :- 76/2021</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>22/3/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार मुनेश पुत्र कुरड़ा के स्थान पर महेश पुत्र कुरड़ाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील झुन्झुनू के ग्राम देरवाला की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 238 के खसरा नम्बर 136 बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील झुन्झुनू के ग्राम देरवाला की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 238 के खसरा नम्बर 136 बाबत प्रार्थी का अशुद्ध नाम मुनेश पुत्र कुरड़ा के स्थान पर महेश पुत्र कुरड़ाराम शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जज (अधिकारी) झुन्झुनू (राज.) </p>	